इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 156] भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अप्रैल 2017—चैत्र 20, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2017

एफ 5–30/2017/1/55 मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, गैर–सहायता प्राप्त निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एमडी/एमएस/डिप्लोमा/ एमडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश की योग्यता, प्रवेश का तरीका और सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है।

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "मध्यप्रदेश निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2017" है।

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा शैक्षणिक सत्र 2017–18 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007(क्रमांक 21 सन् 2007);

(ख) "प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था में प्रवेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन एवं प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों से प्रभारित होने वाली फीस को नियत करने के लिए गठित समिति;

(ग) "श्रेणी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी ;

(घ) "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है, शारीरिक रूप से दिव्यांग (जैसा कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट और अधिकथित किया गया है) तथा महिलाएं ;

(ड.) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य में निजी चिकित्सा या दंत चिंकित्सा महाविद्यालय/संस्था ;

(च) "काउंसिलिंग" से अभिप्रेत है, अर्ह परीक्षा में किसी अभ्यर्थी की पात्रता एवं प्रवीणता के अनुसार सीट के आवंटन की प्रक्रिया ;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अन्य प्राधिकरी ;

(ज) "डी सी आई" से अभिप्रेत है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ;

(झ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्ज़ामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित नीट पी0जी0–2017/नीट एम0डी0एस0 2017 ;

(ञ) "सेवारत अभ्यर्थियों" से अभिप्रेत है, ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिनके नाम आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु जारी की गई सूची में आए हों ;

(ट) "लेफ्ट आउट सीट्स" से अभिप्रेत है, राज्य स्तर के अंतिम चरण की पी.जी. काउंसिलिंग के बाद किसी भी कारण से रिक्त रह गई सीट्स ;

(ठ) "एमसीआई" से अभिप्रेत है, मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया ;

(ड) "एम.पी.एम.सी." से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् ;

(ढ़) "एम.पी.डी.सी." से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश दंत चिकित्सा परिषद् ;

(ण) "नीट पीजी–2017" से अभिप्रेत है, (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा पीजी–2017) "नीट एमडीएस–2017" से अभिप्रेत है, (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एमडीएस 2017) ;

(त) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग ;

(थ) "रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों" से अभिप्रेत है, पी.जी.काउंसिलिंग की प्रक्रिया के लिए पात्र रजिस्टर्ड अभ्यर्थी ;

(द) "रिमोट एवं/या डिफीकल्ट एरिया" से अभिप्रेत है, 89 आदिवासी उप योजना के विकास खण्डों (आदिवासी विकास खण्ड) में स्थित कोई भी क्षेत्र ;

(ध) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां ;

(न) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां ;

(प) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है, ऐसे अभ्यर्थी जिसको नीट पीजी–2017/ नीट एमडीएस–2017 परीक्षा की प्रवीणता के आधार पर सीट आवंटित की गई है;

(फ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार ;

(ब) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, ऐसी संस्थाएं जिससे संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध हैं।

3. सामान्य.–

(1) स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश, मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया/डेंटल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया/विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/भारत सरकार के, यथास्थिति, आवंटन, दस्तावेजों की जांच तथा प्रवेश के समय लागू नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासित होंगे।

(2) स्नातकोत्तर पाठयक्रम, उपाधि की दशा में, प्रवेश की दिनांक से तीन वर्ष की कालावधि के लिए तथा पत्रोपाधि की दशा में, दो वर्ष की कालावधि के लिए पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होंगे। छात्रों को, संपूर्ण

अध्ययनकाल के दौरान निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(3) यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने इन नियमों के नियम 3 के खण्ड (5) के अनुसार आयोजित राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के समय आवेदन फॉर्म भरते समय या दस्तावेजों की जांच, या उसके प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् कोई भी सुसंगत तथ्य छुपाए हैं और/या गलत जानकारी प्रदान की है, तो अभ्यर्थी के प्रवेश को महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष/प्रचार्य द्वारा उसकी पढ़ाई के दौरान किसी भी समय संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अनुमति के पश्चात् रद्द कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकेगी।

(4) छात्र के दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनधिकृत अनुपस्थिति के दोषी पाए जाने पर वह छात्र संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन सम्मिलित है एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण रद्द किए जाने के भागी होंगे। अभ्यर्थी की 45 दिनों के लिए लगातार अनधिकृत अनुपस्थिति की दशा में, उसके प्रवेश को रद्द करने की प्रक्रिया संबंधित महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा, संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् आरंभ की जाएगी। अनुपस्थिति की इस अवधि को अभ्यर्थी को अनुज्ञात किसी भी अवकाश के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा, और उपाधि/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में ऐसे निष्कासित अभ्यर्थी, उपाधि पाठ्यक्रम के मामले में आगामी 3 वर्षों के लिए एवं पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के मामले में आगामी 2 वर्षों तक राज्य स्नातकोत्तर सीट पर प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे और उन्हें संबंधित संस्थान में शेष अवधि के लिए शिक्षण फीस जमा करनी होगी, अन्यथा यह भू राजस्व

के बकाया के रूप में वसूली जाएगी। अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज को उक्त वर्णित शिक्षण फीस की वसूली के बाद ही लौटाए जाएंगे।

(5) मध्यप्रदेश सरकार के चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की गैर–एनआरआई सीट्स हेतु सामान्य काउंसिलिंग आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (उपाधि/पत्रोपाधि) प्रवेश नियम, 2017 के नियम 3 (छह) के अधीन प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

4. **सीटों की उपलब्धता**– राज्य के निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर सीटों (एमडी/एमएस/डिप्लोमा एमडी), के संबंध में श्रेणीवार/विषयवार जानकारी अभिहित पोर्टल **www.dme.mponline.gov.in** पर उपलब्ध करायी जाएगी। ये सीटें इन नियमों के नियम 3 के उप–नियम (5) के अनुसार परीक्षा एवं काउंसिलिंग के माध्यम से अर्ह अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। ।

5. **काउंसिलिंग और आरक्षण** :–

(1) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 जनवरी, 2017 तक संशोधित, के विनियम क्रमांक 9 (छह), के साथ पठित, अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रवेश नियम, 2008 के अनुसार, महाविद्यालयों को, महाविद्यालय की कुल स्वीकृत सीटों में से 15 प्रतिशत, एन आर आई अभ्यर्थियों से भरने की अनुमति दी जाएगी। राज्य की प्रवीण सूची के अनुसार, एन आर आई अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग प्रक्रिया संबंधित महाविद्यालय द्वारा की जाएगी। महाविद्यालय द्वारा भरी जाने वाली शेष सीटों को, विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के लिए, राज्य सरकार की लागू आरक्षण नीति के अनुसार इन नियमों के नियम 3 के उप–नियम (5) के अनुसार संचालित सामान्य काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।

(2) मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000 जनवरी, 2017 तक संशोधित, के विनियम क्रमांक 9

(छह), के अनुसार, किसी महाविद्यालय में कुल सीटों की 50 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश सरकार के स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (उपाधि/पत्रोपाधि) प्रवेश नियम, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भरी जाएंगी।

(3) राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार गैर–एनआरआई सीटों के लिए विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

(क) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

(ख) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

(ग) अन्य पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर से भिन्न अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों के लिए 14 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।

(4) महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक श्रेणी मैरिट–सह–विकल्प के अनुसार क्रमशः प्रवर्ग में कुल सीटों में से 30 प्रतिशत आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण संस्थानवार अथवा विषयवार नहीं होगा ।

(5) मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी/मूल निवासी होने से संबंधित अभ्यर्थी होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण–पत्र और/या मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी होने के प्रमाण–पत्र का विवरण प्रस्तुत करना होगा और इन नियमों के नियम 3 के उप–नियम (5) के अनुसार संचालित काउंसिलिंग के समय मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी मूल स्थायी जाति और/या मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह आरक्षण के लिए पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी

होगा/होगी। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित, अनारक्षित श्रेणी की सीटों के आवंटन के लिए पात्र होने हेतु राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

(6) ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमी) और अनारक्षित श्रेणी से संबंधित हैं, तीन प्रतिशत सीटों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए श्रेणीवार आरक्षित किया जाएगा। यह आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा। ये अभ्यर्थी अपने प्रवर्ग की ओपन सीटों से आवंटन के लिए अपनी पसंद सह प्रवीणता के अनुसार भी पात्र होंगे।

दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु सीट आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

(क) अनुसूचित जनजाति दिव्यांग अभ्यर्थी– पात्रता के आधार पर निम्नानुसार क्रम का पालन किया जाएगा। ओपन* अनुसूचित जनजाति (ST OPEN) => अनुसूचित जनजाति दिव्यांग (ST PH) ।

(ख) अनुसूचित जाति दिव्यांग अभ्यर्थी– पात्रता के आधार पर निम्नानुसार क्रम का पालन किया जाएगा। ओपन* अनुसूचित जाति (SC OPEN)=> अनुसूचित जाति दिव्यांग (SC PH)

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग अभ्यर्थी– पात्रता के आधार पर निम्नानुसार क्रम का पालन किया जाएगा। ओपन* अन्य पिछड़ावर्ग (OBC OPEN) => अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग (OBC PH)

(घ) अनारक्षित दिव्यांग अभ्यर्थी– पात्रता के आधार पर निम्नानुसार कम का पालन किया जाएगा। ओपन* अनारक्षित (UR OPEN)=> अनारक्षित दिव्यांग (UR PH) ।

टिप्पणः– *ओपन से अभिप्रेत है, उस श्रेणी में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीट से भिन्न उसी श्रेणी में कोई सीट।

यदि पात्र श्रेणी में दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी श्रेणी और प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं हैं तो खाली सीटें उसी श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया द्वारा जारी आदेश दिनांक 25–03–2009 के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटें पहले 50–70 प्रतिशत (पीएच–1) के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जाएंगीः

परंतु, 50–70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त रह गई सीटें 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (पीएच–2) के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी। गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों की पात्रता दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् अभिनिश्चित की जाएगी। अपात्र अभ्यर्थियों के अनंतिम आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी रिक्त सीटों को काउंसिलिंग के अगले दौर में सम्मिलित किया जाएगा।

(7) दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों पर दावा कर रहे अभ्यर्थी को विहित प्ररूप में जिला मेडिकल बोर्ड से विधिमान्य प्रमाणपत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाणपत्र, प्रस्तुत करना होगा। जबलपुर का प्रमाणपत्र प्रथम काउंसिलिंग की तारीख से तीन माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

(8) मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित विकलांगताओं को प्रवेश हेतु दिव्यांगता के रूप में विचार नहीं किया जाएगा :–

1. हाथ/हाथों (Upper limb)से विकलांग
2. दृष्टि से विकलांग
3. बहरापन
4. 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।

(9) यदि पात्र अभ्यर्थी किसी भी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक उपलब्ध नहीं हैं, तो उस श्रेणी की रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर निम्नानुसार भरा जाएंगाः–

प्रथमतः अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा और तत्पश्चात्–

(क) अनुसूचित जनजाति श्रेणी की रिक्त सीटें, पात्र अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी। पात्रता के आधार पर निम्नलिखित सूत्र का पालन किया जाएगा। SC (OPEN)=> SC (PH)=> ST (OPEN) =>ST(PH)

(ख) अनुसूचित जाति श्रेणी की रिक्त सीटें पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी। पात्रता के आधार पर निम्नलिखित सूत्र का पालन किया जाएगा। ST (OPEN)=>ST (PH)=>SC (OPEN) =>SC(PH)

(ग) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्त सीटों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। पात्रता के आधार पर निम्नलिखित सूत्र का पालन किया जाएगा।

OBC(OPEN)=>OBC(PH)=>SC(OPEN)=>SC(PH)=>ST(OPEN)=>ST(PH)

(घ) उपरोक्त रीति में तीनों आरक्षित श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में, रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। पात्रता के आधार पर निम्नलिखित सूत्र का पालन किया जाएगा।

UR(OPEN)=>UR(PH=>)OBC(OPEN)=>OBC(PH)=>SC(OPEN)=> SC(PH)=> ST (OPEN)=>ST(PH)

6. पात्रता.–

(1) अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।

(2) मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए, अभ्यर्थी के पास, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाणपत्र होना चाहिए।

(3) मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया विनियम, 2000 के विनियम 9 (चार) के अनुसार सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 28 फरवरी, 2017 को सेवा के लिए प्रोत्साहन अंक देने की प्रक्रिया के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रशासित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों में प्रोत्साहन अंक जोड़ने के बाद कुल अंकों के आधार पर सेवारत अभ्यर्थी आवंटन के लिए पात्र होंगे।

(4) अभ्यर्थी को किसी भी मान्यताप्राप्त चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय से सभी एमबीबीएस/बीडीएस परीक्षाएं उत्तीर्ण होना चाहिए।

(5) अभ्यर्थी को मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया/डेंटल मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इण्डिया द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से दिनांक 31–03–2017 तक या इसके पूर्व अनिवार्य इंटर्नशिप (Compulsory Internship) पूर्ण होना चाहिए।

(6) अभ्यर्थी को आवंटित स्नातकोत्तर सीट पर प्रवेश की तारीख से एक माह के भीतर स्थायी रूप से, यथास्थिति, मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद्/मध्यप्रदेश दंत चिकित्सा परिषद् से रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। अभ्यर्थी को या तो मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद्/मध्यप्रदेश दंत चिकित्सा परिषद् का स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने का पंजीकरण और अपेक्षित फीस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा प्रवेश के रद्दकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

(7) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को ऐसे प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए पात्र, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(8) स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा में अर्ह अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40वां शतमक और अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50 वां शतमक और अनारक्षित श्रेणी के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 45 वां शतमक होगा।

(9) कोई अभ्यर्थी जिसे निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में किसी भी सीट पर प्रवेश लिया प्रविष्ट हो गया है, यदि सीट से त्यागपत्र देता है या महाविद्यालय द्वारा निष्कासित किया जाता है, तो वह ऐसे त्यागपत्र/निष्कासन की तारीख से स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में 3 वर्ष के लिए और स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में 2 वर्ष के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान जांच के समय इन नियमों में संलग्न प्रोफार्मा –2 में, इस प्रभाव का एक वचनबंध देना होगा।

(10) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है पाठयक्रम पूरा होने की तारीख से आगामी तीन वर्षों के लिए स्नातकोत्तर सीटों में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 01 मई, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 के बीच किसी भी विषय में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया हो, उसी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे । अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान जांच के समय प्रोफार्मा–2 में, इस प्रभाव का एक वचनबंध देना होगा।

(11) अभ्यर्थियों को इन नियमों के नियम 3 के उप–नियम (5) के अनुसार संचालित काउंसिलिंग के समय प्रोफार्मा–1 के साथ उपस्थित रहना होगा एवं काउंसिलिंग के दौरान नीचे उल्लिखित समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:–

(1) नीट पीजी–2017/एमडीएस–2017 परीक्षा की ऑल इंडिया रिजल्ट स्लिप एवं फोटो के साथ परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को जारी किया गया प्रवेश पत्र।

(2) 10 वीं तथा 12 वीं की अंक सूची।

(3) एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं की अंक सूची ।

(4) अनिवार्य इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाणपत्र अथवा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इन्टर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र।

(5) मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्/मध्यप्रदेश दंत चिकित्सा परिषद् स्थायी/अस्थायी रजिस्ट्रेशन का प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की पावती।

(6) निदर्शन पत्र (प्रोफॉर्मा)–2 में स्नातकोत्तर शिक्षा का वचनबंध।

(7) आधार कार्ड।

(8) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाणपत्र। (यदि लागू हो)।

(9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र। (यदि लागू हो)

(10) अभ्यर्थी के क्रीमी/नान क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए वर्तमान वर्ष (2016–17) का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)।

(11) दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र और विकलांग पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

(12) मध्यप्रदेश की ग्रामीण सेवा के लिए बंधपत्र (बांडेड) अभ्यर्थियों को राज्य सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग, द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण–पत्र ।

(12) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन के लिए पात्रता.–

(1) निम्नलिखित अभ्यर्थी लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन के लिए पात्र होंगेः–

(क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।

(ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व की काउंसिलिंग के चरण में "ऑप्ट फार वेटिंग" (Opt for waiting) का ऑप्शन दिया है ।

(ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के काउंसिलिंग चरणों में च्वाईस फिलिंग (choice filling) विकल्प नहीं दिया है।

(2) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगेः–

(क) जो पूर्व के चरणों की काउसिंलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं।

(ख) जिनको पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में सीट आवंटित की गई थी किन्तु आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है।

(ग) जिन्होंने आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्यागपत्र दिया गया है।

7. फ़ीस संरचना.–

अधिनियम के अधीन गठित प्रवेश और शुल्क विनियामक समिति को निजी विश्वविद्यालयों के अधीन महाविद्यालयों को छोड़कर एमडीएस, एमएस और डिप्लोमा पाठयक्रम के लिए फीस संरचना का निर्णय करने का अधिकार होगा। निजी विश्वविद्यालयों के अधीन महाविद्यालयों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित फीस संरचना लागू होगी।

8. फ़ीस वापसी.– राज्य काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी यदि वह अंतिम चरण की काउंसिलिंग के अंतिम दिवस सांय 5:00 बजे तक सीट छोड़ देता/देती है।

9. काउंसिलिंग समिति और काउंसिलिंग प्रक्रिया

काउंसिलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए काउंसिलिंग हेतु संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :–

1.	संचालक, चिकित्सा शिक्षा	–अध्यक्ष
2.	ए एफ आर सी के अध्यक्ष का एक प्रतिनिधि	–सदस्य
3.	अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग का एक प्रतिनिधि	–सदस्य
4.	ए पी डी एम सी द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य	–सदस्य
5.	मध्यप्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय से एक प्रतिनिधि	–सदस्य
6.	शासकीय स्वाशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य	–सदस्य
7.	सभी शासकीय स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाता	–सदस्य
8.	संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग	–सदस्य
9.	संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट आरक्षित श्रेणी का एक प्रतिनिधि	–सदस्य

यह समिति मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (उपाधि/पत्रोपाधि) प्रवेश नियम, 2017 के अंतर्गत गठित काउंसिलिंग समिति के साथ समन्वय कर कार्य करेगी।

मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (उपाधि/पत्रोपाधि) प्रवेश नियम, 2017 के नियम 3 (छह) के अनुसार काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

10. प्रवेशः

(1) अभ्यर्थी जिसको काउंसिलिंग के दौरान विषय, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटित हो गए है, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु संबंधित महाविद्यालय के

अधिष्ठाता (संकायाध्यक्ष)/प्राचार्य को विनिर्दिष्ट तारीख तथा समय पर रिपोर्ट करना होगा।

(2) अभ्यर्थी जिसे आवंटित सीट पर प्रवेश दिया गया है निम्नलिखित मूल दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में जमा करेगा :–

(क) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्/मध्यप्रदेश दंत चिकित्सा परिषद् का स्थाई रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, (यदि उपलब्ध हो) अथवा इस आशय का शपथ पत्र कि वह प्रवेश के 3 माह के भीतर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्/मध्य प्रदेश दंत चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रेशन कराकर जमा करेगा या स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन की पावती जमा करेगा ।

(ख) लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सरकार की ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड (Bonded) अभ्यर्थियों को जारी किया गया अनापत्ति प्रमाणपत्र।

(ग) एमबीबीएस/बीडीएस की उपाधि या एमबीबीएस/बीडीएस फाइनल प्रोफ. अंक सूची।

अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए संबंधित महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष/प्रचार्य द्वारा अभ्यर्थी को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(3) राज्य काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा का निर्धारित बंधपत्र पूर्ण करने अथवा बंध राशि जमा कर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग से "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करने पर ही मूल दस्तावेज लौटाए जाएंगे

(4) उन अभ्यर्थियों की फीस समपहृत कर ली जाएगी, जिन्होंने जांच के समय आवंटित संस्थान को ऑनलाइन फीस जमा कर दी है किन्तु निर्धारित तारीखों के भीतर संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं।

(5) अभ्यर्थी को अंतिम चरण की काउंसिलिंग अथवा लेफ्ट आउट सीटों के आवंटन के पश्चात् किसी भी आधार पर विषय, पाठ्यक्रम, श्रेणी तथा महाविद्यालय में किसी प्रकार के परिवर्तन की पात्रता नही होगी।

(6) यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश की अंतिम दिनांक पर प्रवेश लेने में विफल रहता है या प्रवेश के बाद सीट छोड़ देता है तो सीट पर उसका दावा समपहृत हो जाएगा और उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी को काउंसिलिंग एवं लेफ्ट आउट सीटों के आवंटन के आगे के चरणों में भाग लेने के लिए अपात्र घोषित किया जाएगा।

(7) प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग के बाद निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती अभ्यर्थियों की सूची संबंधित कॉलेज के संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा संचालक, चिकित्सा शिक्षा को उपलब्ध करायी जाएगी। यह सूची संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड (सूचना फलक) पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

11. प्रवेशित छात्रों के लिए सुविधाएं :–

प्रवेशित छात्रों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो–

(क) एक साप्ताहिक अवकाश (गैर संचयी)

(ख) प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,

(ग) संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से संपूर्ण शिक्षण अवधि के दौरान छात्रवृत्ति साथ 180 दिवस का प्रसूति अवकाश। मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5/123/ 2013/01/55 भोपाल दिनांक 03.06.2013 (परिशिष्ट–01) एवं सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–7/1/2010/नि0/4 दिनांक 07/06/2010 (परिशिष्ट–01–ए) के अनुसार प्रसूति अवकाश पर जाने के दस दिवस के भीतर चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(घ) मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 147/4572/03/55/चिशि.–1, दिनांक 14.01.04 के अनुसार पूर्व अनुमति से

छात्रवृत्ति के बिना चिकित्सा अवकाश प्रतिवर्ष 15 दिवस का होगा। चिकित्सा प्रमाण–पत्र, अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा चिकित्सा अवकाश प्रतिवर्ष लिया जा सकेगा तथा इस अवकाश को आगे जोड़ने की अनुमति नहीं होगी अर्थात् यह अवकाश गैर–संचयी होगा।

12. बंध पत्र

(1) सीट लीविंग बांड (Seat Leaving Bond)

आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात्, अभ्यर्थी को एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि वह पाठ्यक्रम को पूरा करेगा और एक सीट लीविंग बांड जमा करेगा और यह कथन किया गया हो कि यदि वह मध्य प्रदेश राज्य संयुक्त स्नातकोत्तर काउंसिलिंग, 2017 के आखिरी दौर की आखिरी दिनांक के बाद सीट से त्यागपत्र देगा/देगी। उसके बाद और पाठ्यक्रम के पूरा होने से पहले या प्रवेश के बाद किसी भी कारण से निष्कासित कर दिया जाता है तो उसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए संबंधित संस्थान में कुल निर्धारित ट्यूशन फीस जमा करनी होगी। ऐसी फ़ीस जमा करने के बाद ही मूल दस्तावेज छात्रों को वापस किए जाएंगे। इसके अलावा, उपाधि/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में ऐसे भर्ती अभ्यर्थी त्यागपत्र/निष्कासन की तारीख से डिग्री कोर्स के मामले में अगले 3 वर्षों एवं पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के मामले में अगले 2 वर्षों के लिए स्नातकोत्तर सीटों में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे (**प्रोफोर्मा–5**)।

(2) **ग्रामीण सेवा बंधपत्र :**

(क) अभ्यर्थी को, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के अनुसार बांड (प्रोफोर्मा–3) प्रस्तुत करना होगा अर्थात् पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात् निर्धारित एक वर्ष तक राज्य शासन के अधीन शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में कार्य करने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि (एमडी/एमएस/एमडीएस) के लिए रू. 10.00 लाख (रू. दस लाख) तथा स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के लिए रू. 8.00लाख (रूपये आठ लाख) का बंधपत्र प्रवेश के समय निष्पादित करना होगा।

निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष/प्राचार्य आयुक्त, स्वास्थ्य सेवा, राज्य शासन को परीक्षा के आरंभ होने से कम से कम तीन महीने पूर्व ऐसे अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएंगे जो उनके संस्थानों से विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे सफल अभ्यर्थियों को परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।

(ख) सेवारत अभ्यर्थियों के लिए ग्रामीण सेवा बांड **प्रोफार्मा–4** के अनुसार होगा।

13. नियम में संशोधन का अधिकार : –

राज्य सरकार को किसी भी नियम एवं काउंसिलिंग की प्रक्रिया में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित होगा। इस संबंध में जानकारी कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश की वेबसाईट तथा काउंसिलिंग हेतु निर्धारित पोर्टल www.dme.mponline.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। अतः अभ्यर्थियों को कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in.तथा www.dme.mponline.gov.in से सतत् सम्पर्क में रहने की आवश्यकता होगी ।

14. नियमों का निर्वचन :

इन नियमों और उनके संशोधन के निर्वचन से संबंधित किसी भी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर बाध्यकारी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.

फोटो

प्रमाण-पत्र/अभिलेखों की स्क्रूटनी, संबंधी प्रोफार्मा

प्रोफार्मा-1
भाग-अ (अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

मै घोषणा करता हूँ कि मैने मध्य प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा /दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 को भलीभांति पढ़ तथा समझ लिया है। मुझे म0प्र0 के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की जानकारी है। तत्पश्चात ही नियमों में दिये गये उपबंधों के अधीन काउंसिलिंग में भाग ले रहा/रही हूँ।

मैं काउंसलिंग में भाग लेने के लिये मूल प्रमाणपत्र/ अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हू। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, या असत्य है या अधूरी है या निर्देशानुसार नहीं है तो ऐसा होने पर, यदि मुझे किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाए ।

1/ **NEET PG-2017/NEET MDS-2017** परीक्षा का टेस्टिंग आई.डी.नं.....

2/ मेरिट सूची क्रमांक .....

3/ पूरा नामः .....

4/ माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता .....

5/ श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/: .....
अन्य पिछड़ा वर्ग)

6/ प्रवर्ग- .....

7/ अभ्यर्थी का मोबाईल फोन नं. एवं ई-मेल आई.डी.नं.....

8/ अभ्यर्थी का बैंक खाता नं..... आई.एफ.एस.कोड नं..... पोर्टल पर नं.....

मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने सही (√) का चिन्ह लगायें

1. NEET PG-2017/NEET MDS-2017 परीक्षा की ऑल इंडिया रजिल्ट स्लिप एवं मय फोटो के टेस्ट एडमिट कार्ड । ☐
2. 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची आयु प्रमाण हेतु। (सेवारत अभ्यर्थियों हेतु) ☐
3. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ (Prof) की अंक सूची । ☐
4. अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्पलीशन सर्टिफिकेट (Compulsory Internship completion certificate) अथवा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इन्टर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ☐
5. एम.पी.एम.सी./एम.पी.डी.सी. का स्थायी/अस्थायी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र / स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु एम.पी.एम.सी./एम.पी.डी.सी.को दिये गये आवेदन की पावती । ☐
6. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित घोषणा पत्र । (प्रोफार्मा-2) ☐
7. अभ्यर्थी का आधार कार्ड । ☐

8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) । ☐

9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो) । ☐

10. वर्तमान वर्ष 2016-17 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र (अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉनक्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो)। ☐

11. प्रायोजित (स्पांसरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लागू)। ☐

12. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र,नेपियर टाउन, जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो (यदि लागू हो)। ☐

13. म.प्र. शासन की ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को यथास्थिति लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/ चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र । (यदि लागू हो)। ☐

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम तथा पता

फोटो

प्रमाण–पत्र/अभिलेखों की स्क्रूटनी, संबंधी प्रोफार्मा

प्रोफार्मा–1

भाग–ब (स्क्रूटनी (छानबीन) समिति द्वारा भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि स्क्रूटनी के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित **NEET PG-2017/NEET MDS-2017** में सम्मिलित परीक्षार्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर डाटा से मिलान करने के बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई है ।

भिन्नता की स्थिति में टिप्पणी –.....

प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की जांच की गई तथा अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियों के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं।

सत्यापन के पश्चात्, अभ्यर्थी आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र है

अथवा

निम्न अभिलेख/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण/या अन्य कारणों से आवंटित सीट पर प्रवेश के लिये पात्र नहीं है।

1. **NEET PG-2017/NEET MDS-2017** परीक्षा की ऑल इंडिया रिजल्ट स्लिप एवं मय फोटो के टेस्ट एडमिट कार्ड । ☐
2. 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची आयु प्रमाण हेतु। (सेवारत अभ्यर्थियों हेतु) ☐
3. एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. परीक्षाओं के अंतिम प्रोफ (Prof) की अंक सूची । ☐
4. अनिवार्य इन्टर्नशिप कम्पलीशन सर्टिफिकेट (Compulsory Internship completion certificate) अथवा दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इन्टर्नशिप पूर्ण करने संबंधी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। ☐
5. एम.पी.एम.सी./एम.पी.डी.सी. का स्थायी/अस्थायी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र / स्थायी रजिस्ट्रेशन हेतु एम.पी.एम.सी./एम.पी.डी.सी.को दिये गये आवेदन की पावती । ☐
6. स्नातकोत्तर अध्ययन से संबंधित शपथ पत्र । (प्रोफार्मा–2) ☐
7. अभ्यर्थी का आधार कार्ड । ☐
8. मध्यप्रदेश का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र । (यदि लागू हो) ☐

9. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश राज्य में आरक्षित श्रेणी (जाति प्रमाण-पत्र) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र । (यदि लागू हो) ☐

10. वर्तमान वर्ष 2016-17 का तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र । (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की क्रीमी/नॉन क्रीमी लेयर के निर्धारण हेतु) (यदि लागू हो) ☐

11. प्रायोजित (स्पांसरशिप) प्रमाण पत्र, (सेवारत अभ्यर्थियों के लिए लागू) ☐

12. विकलांग प्रवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं विकलांग पुर्नवास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण-पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो । ☐

13. म.प्र. शासन के ग्रामीण सेवा के लिए बांडेड अभ्यर्थियों को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र । ☐

2. **अपात्रता के कारणः-**

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर मय दिनांक,
नाम
पदनाम

फोटो

प्रोफार्मा–2

NEET PG-2017/NEET MDS-2017 परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु
पात्र अभ्यर्थियोंद्वारा भरा जाने वाला घोषणा–पत्र का प्रोफार्मा

मैं, डॉ. .....आत्मज/आत्मजा.....
.....आयु..... निवासी .....
सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि –

1. वर्तमान में मैं मध्यप्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षो में यथा 2014,2015,2016 में मध्यप्रदेश पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा चयन के पश्चात् अध्ययनरत नहीं हूँ * (विषय–.....में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को छोड़कर)
2. पिछले तीन वर्षो के दौरान (2014, 2015, 2016) में मुझे म.प्र. राज्य में किसी भी विषय में म.प्र. स्टेट पी.जी. काउंसिलिंग या आल इंडिया काउंसिलिंग द्वारा कोई स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा *(विषय–.....में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को छोड़कर) आवंटित नहीं किया गया है।
3. गत दो वर्षो के दौरान (यथा 2015, 2016) में मैंने *(विषय–..... .....में डिप्लोमा पाठ्यक्रम को छोड़कर) कोई भी स्नातकोत्तर डिप्लोमा या गत तीन वर्षो के दौरान (2014, 2015, 2016) में कोई स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त नहीं की है।

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम .....
पता .....
.....

सत्यापन

मैं, डॉ. .....आत्मज/आत्मजा.....
..... आयु .....निवासी.....
.सत्यापित करता हूँ/करती हूँ कि अनुक्रमांक 1 से 3 तक में दिये गये तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं।

सत्यापनकर्ता व्यक्ति

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम .....
पता .....

* नोटः– ऐसे डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जिन्हें नीट पी.जी. 2017 की मैरिट के आधार पर, स्टेट कोटा पी.जी. काउंसिलिंग– 2017 द्वारा जिस विषय में पी.जी.डिग्री पाठ्यक्रम आवंटित हुआ है पूर्व में यदि अभ्यर्थी द्वारा उसी आवंटित विषय में 01 मई, 2015 से 31दिसम्बर 2016 तक की अवधि में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा चुका है तो ऐसे अभ्यर्थी केवल इसी विषय के आंवटित पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होगें।

फोटो

प्रोफार्मा – 3

गैर सेवारत अभ्यर्थियों के लिये

ग्रामीण सेवा बंध पत्र

रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा ग्रामीण सेवा के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .... मध्यप्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविघालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2017 के अंतर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठयक्रम प्रवेश नियम 2017 को पढकर भलीभांति समझ लिया है ।

3– मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूं ।

4– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

अ. मैं चिकित्सा/दंत चिकित्सा, स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर निर्धारित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये ब बंधनकारी रहेगा ।

स. मैं निम्न बातों के लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूं :–

(1) यह कि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा ।

(2) यह कि, निर्धारित अवधि (पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति मैं शासन को पी.जी. डिग्री हेतु रु0 10,00000/– (रुपये दस लाख मात्र) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रु0 8,00000/– (रुपये आठ लाख मात्र) का शासन को भुगतान करने का वचन देती/देता हूं।)

द. यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होउंगा/होउंगी ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1.....

2.....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं .....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....निवासी ..... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/ दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम जमा करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर

आवेदक/निष्पादनकर्ता

गवाह :–

1– .....

2– .....

फोटो

प्रोफार्मा–4

सेवारत अभ्यर्थियों के लिये ग्रामीण सेवा प्रदान करने हेतु बंध–पत्र

(रूपये 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे)
मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा अधिसूचित सेवा के संबंध में निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र का प्रारूप

1– मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश नियम 2017 के अन्तर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश नियम 2017 को भलीभांती पढ़कर समझ लिया है।

3– मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणीकी/का छात्रा/छात्र हूँ।

4– मै। एतद् द्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :–

अ. मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में निर्धारित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा।

ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर निर्धारित अवधि के लिये चिकित्सा सेवा करना मेरे लिये बंधनकारी रहेगा।

स. मैं निम्न बातों के लिये अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूँ:–

(1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु वचनबद्व रहूंगी/रहूंगा।

(2) यह कि, निर्धारित अवधि (पी.जी. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पॉच वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु तीन वर्ष) की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति मैं शासन को पी.जी. डिग्री हेतु रू. 30.00 लाख (रूपये तीस लाख) अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु रूपये 20.00 लाख (रूपये बीस लाख) का शासन को भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ।

द. यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लघंन होने की दशा में महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं होउंगा/होउंगी।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–
1.....
2.....

प्रतिभूतिकर्ता

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री..... निवासी..... उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि के समकक्ष बैंक गारंटी अधिष्ठाता चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय के नाम जमा करूंगा जिससे बंधपत्र में उल्लेखित राशि वसूल की जा सकेगी।

हस्ताक्षर
आवेदक निष्पादनकर्ता

गवाह :–
1.....
2.....

फोटो

प्रोफार्मा – 5

गैर सेवारत एवं सेवारत् अभ्यर्थियों के लिये

(निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्टेट कोटा एवं महाविद्यालय कोटे से प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

सीट लीविंग बंध–पत्र

रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बंध पत्र का प्रारूप

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .... मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम **2017** के अंतर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन के निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्नातकोत्तर पाठयक्रम प्रवेश नियम **2017** को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3– मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती/करता हूं कि मेरे द्वारा मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग **2017** में भाग लेकर आवंटित सीट पाठयक्रम .....विषय .....तथा संस्था .....में प्रवेश लिया गया है ।

4– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

अ मैं निजी चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठयक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।

ब यह कि, मेरे द्वारा अंतिम चरण की काउंसलिंग के अंतिम दिन के पश्चात् एवं पाठयक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा प्रवेश उपरांत संस्था के द्वारा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय को सीट लिविंग पूर्ण शैक्षणिक सत्र की फीस को भुगतान करने का वचन देता हॅ /देती हूं ।

स– यह कि, सीट लीविंग बांड की राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा मूल दस्तावेज वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1.....

2.....

मध्यप्रदेश शासन परिशिष्ट-1

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-5-123-2013-1-55 भोपाल, दिनांक 3 जून 2013

प्रति,
संचालक,
चिकित्सा शिक्षा
म. प्र. भोपाल.

विषयः— पी0जी0 छात्रों के अवकाश के संबंध में ।
सन्दर्भः— आपकी टीप कमांक 1192/पीजी/4/संचिशि/13 दि0 2/5/13

1— विषयांतर्गत मध्यप्रदेश प्री0जी0नियम 2012—13 के उप नियम—4 के अनुसार पी0जी0 छात्रों को निम्नानुसार अवकाश देय है :—
(क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी)
(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस का आकस्मिक अवकाश
(ग) डीन (अधिष्ठाता)/प्राचार्य की पूर्व अनुमति से सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 90 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी । चिकित्सा प्रमाण—पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 147/4572/03/पचपन/चिशि—1 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के अनुसार पूर्व अनुमति, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण—पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

उपरोक्त नियमों के संबंध में निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :—

(क) उपरोक्त बिन्दु 01 एवं 02 के अनुसार अवकाश अवधि को परीक्षा में बैठने हेतु उपस्थिति मान्य किया जावे, किन्तु उतनी अवधि का पृथक से वास्तविक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिससे वास्तविक प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा ।
(ख) साथ ही पी0जी0 डिग्री पाठ्यक्रम के लिये केवल 36 माह का ही स्टायफण्ड तथा पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये केवल 24 माह का ही स्टायफण्ड देय होगा ।
(ग) उक्त प्रकार के प्रकरणों में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जावे कि अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के उपरांत ही घोषित हो ।
(घ) पी0जी0छात्रों को चिकित्सा अवकाश का आवेदन निर्धारित समय सीमा में संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के माध्यम से अधिष्ठाता को प्रस्तुत करना होगा ।

(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय

क एफ-5-123/2013/1/55 भोपाल,दिनांक /6/2013

प्रतिलिपिः—
1— अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा की ओर सूचनार्थ ।
2— प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर ।

(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,मंत्रालय

परिशिष्ट–1 ए

संशोधित प्रसूति अवकाश नियम

सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 1–7/1/2010/नि0/4 दिनांक 07/06/2010 के अनुसार प्रसूति अवकाश की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

प्रसूति अवकाश – प्रसूति अवकाश की पात्रता 180 दिन की होगी । इस अवधि में अवकाश छात्रवृत्ति की पात्रता रहेगी (जो वह अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व देय था) चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश पर जाने के 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.